राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)/SBC/नियमितिकरण/अलेसे–III/38 दिनांक :– 05-02-2021

आदेश संख्या : 319/2020–21

कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश सं. पं.7(2)कार्मिक/क–2/2015 पार्ट दिनांक 09.11.2020 के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 की अनुपालना में आरपीएससी अजमेर द्वारा कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर पूर्णतः अस्थाई आधार पर एवं संबंधित पद पर स्थाईकरण के अधिकारी न होने की शर्त पर कनिष्ठ लेखाकार पद पर 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियमित वेतन स्वीकृत किया जाता हैं।

उक्त स्वीकृति इन अभ्यर्थियों के नियमितिकरण एवं स्थाईकरण का आधार नहीं होने की शर्त पर जारी की जाती है:–

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन स्थिरीकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक सिंह गुर्जर	43399	--	04.06.89	04.07.17	03.07.19	04.07.19
2	ओमप्रकाश गुर्जर	43405	--	17.12.92	03.07.17 After noon	03.07.19	04.07.19
3	योगेन्द्र	43413	--	05.04.90	04.07.17	03.07.19	04.07.19
4	रोहिताश्व गुर्जर	43414	--	04.02.92	05.07.17	04.07.19	05.07.19

परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा हैं) का परिवीक्षा प्रशिक्षण काल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त नियमित वेतन स्वीकृति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे।

(सर्वेश कुमार तिवाडी)
निदेशक

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)/SBC/नियमितिकरण/अलेसे–III/38 दिनांक :– 05-02-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)